न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर. ए. एस.

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 06 / 2025 / बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
1. आदुराम पुत्र किरताराम 2. ईशराराम पुत्र किरताराम 3. किशनाराम पुत्र चुतराराम 4. गंगाराम पुत्र जेठाराम 5. चुन्नाराम पुत्र किरताराम 6. धुड़ाराम पुत्र चुतराराम 7. धोलाराम पुत्र चुतराराम 8. मदाराम पुत्र जेठाराम 9. मिश्राराम पुत्र जेठाराम 10. मोनी पत्नी चुतराराम 11. सुखाराम पुत्र जेठाराम का.मु. 11/1चुनीदेवी पत्नी सुखाराम 11/2थानाराम पुत्र सुखाराम जाति मेगवाल निवासी करनाली नाडी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		1. कालुराम पुत्र रामाराम 2. चैनाराम पुत्र रामाराम 3. जमनादेवी पत्नी राम 4. जेहाराम पुत्र पोकरराम 5. तोगाराम पुत्र रामाराम 6. धुड़ी पत्नी रामाराम 7. नेनू देवी पुत्री रामाराम 8. पेम्पोंदेवी पुत्री रामाराम 9. मंगलाराम पुत्र पोकरराम 10. मोतीराम पुत्र रामाराम 11. सताराम पुत्र पोकरराम 12. सायमलराम पुत्र पोकरराम 13. मोहनराम पुत्र रामाराम जातियान मेगवाल निवासी करनाली नाडी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 14. दुर्गाराम पुत्र प्रहलादराम जाति जाट निवासी करनालीनाडी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 15. शाखा प्रबंधक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सिणधरी 16. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा सिणधरी 17. तहसीलदार सिणधरी

अपोल अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 276/2022 बउनवान कालुराम वगैरह बनाम आदुराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 04.12.2024 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री भंवरलाल चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री विष्णु चौधरी उतरदाता की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—09.06.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि उतरदाता/प्रार्थीगण ने अधीनस्थ अदालत में एक आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत मौजा

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

करडाली नाडी तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 24 रकबा 0.1052 हैक्टेयर व खसरा संख्या 25 रकबा 30.7258 हैक्टेयर का आया हुआ है। प्रार्थी की जोत पर आने जाने हेतु का कोई कटाण रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण को अपने खेत तक पहुंचने हेतु विप्रार्थीगण के खेत मौजा करडाली नाडी के खसरा संख्या 271/21 रकवा 3.3493 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 23/4 रकबा 13.9148 हैक्टेयर में से रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु हस्तगत आवेदन पेश किया गया। उपरोक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु हस्तगत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस मौका रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया उक्त मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्ध नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपीलांटगण के विद्वान अधिवक्ताओं ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते वक्त अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। मौका रिपोर्ट तैयार करते वक्त अपीलांट को मौके पर उपस्थित रहने बाबत कोई सूचना/नोटिस नहीं दिया गया। मौका रिपोर्ट एकतरफा तैयार की गई। अपीलांटगण को जबाव पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। प्रार्थीगण द्वारा ग्राम करनाली नाडी के खेत खसरा संख्या 271/21 व खसरा संख्या 23/4 इन दोनों खसरों में मार्ग चाहा गया हैं, खसरा संख्या 271/21 व खसरा संख्या 23/4 दोनों खेतों के सेढे–सेढे दोनों खसरों में मार्ग की मांग की गई थी परन्तु तहसीलदार सिणधरी ने बिना सुनवाई का अवसर दिये खसरा संख्या 23/4 को छोड़ कर पुरा मार्ग खसरा संख्या 271/21 में दिया गया। प्रार्थीगण के द्वारा चाहे गये रास्ता पूर्व में कोई रास्ता नहीं हैं जहां मार्ग चाहा गया हैं वहां पर पगडंडी भी नहीं हैं इस मार्ग के अलावा वैकल्पिक रास्ता हैं जिस पर आज दिन तक मार्ग के रूप में काम भी ले रहा है इस वैकल्पिक रास्ता सिणधरी जाने, पंचायत घर व स्कूल वगैरा स्थानों पर जाने हेतु काम में लेते रहे हैं। यह वैकल्पिक रास्ता चाहे गये रास्ता से नजदीक पड़ता है। इस वैकल्पिक मार्ग में आने वाले सभी खातेदार रास्ता देने हेतु सहमत हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाई उस वक्त मौका निरीक्षण तहसीलदार स्वयं द्वारा करना आज्ञापक था लेकिन

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण नहीं किया गया। उतरदाता/प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र पर स्वीकार कर आलोच्य आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को नजर अन्दाज करते हुए पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के स्थान पर कभी भी रास्ता नहीं रहा। अपीलाधीन आदेश से प्रस्तावित रास्ते की उत्तरदराता को कोई अत्यांतिक आवश्यकता नहीं थी केवल मात्र अपनी जोत के सुविधाजनक उपभोग एवं उपयोग के लिए रास्ते का आवेदन किया गया। रेस्पोडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंटस द्वारा अपीलांट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मजमे आम में बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेंटस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई सुगम वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण होने के संबंध में कोई तथा अंकित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा मौका रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश नहीं की गई। अपीलांटगण को जबाव पेश करने के पर्याप्त अवसर देने के बावजूद भी जबाव पेश नहीं किया गया। रेस्पोडेंट को उक्त प्रस्तावित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान

(नंदकि...
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

काश्तकारी अधिनियम, 1955 का आवेदन एक सामरी प्रक्रिया है लेकिन अपीलांट को सुनवाई का मौका दिया जाना लाजमी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। उक्त मौका रिपोर्ट को तैयार करने से पूर्व अपीलांट को सूचना नहीं दी गई। अपीलांट की अनुपस्थिति में मौका देखा गया। जिस मौका रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। उक्त मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्ध किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलाधीन आदेश से अपीलांटगण की खातेदारी जोत को दो भागों में विभक्त किया गया। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है लेकिन रास्ते के लिए अन्य पक्षकार के जीवन में दुविधा पैदा करना भी विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पारित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 276/2022 बउनवान कालुराम वगैरह बनाम आदुराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 04.12.2024 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर, उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार कर गुणावगुण पर आदेश पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.07.2025 को उपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

9/6/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 09.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/6/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर